[2019] 2 उम. नि. प. 401

देवी लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

तथा

बाबू लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

8 जनवरी, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 120ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या और हत्या करने का षड्यंत्र – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्ध किया जाना – संदेह का लाभ होना – जहां अभियुक्तों के आरोप को साबित करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी नहीं होती हो और अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को "सत्य हो सकता है" के दायरे से निकालकर "सत्य होना चाहिए" के स्तर पर ले जाने में असफल रहा हो, वहां अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा क्योंकि दांडिक विचारण में संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता विजय सिंह (अभि. सा. 2) ने तारीख 8 फरवरी, 1999 को पुलिस थाना, निम्बाहेड़ा में यह इत्तिला देते हुए एक लिखित रिपोर्ट दी कि वह और उसका चचेरा भाई धर्म चंद (मृतक) गांव बिनोटा में अपने-अपने परिवारों के साथ अलग-अलग मकानों में रह रहे हैं । मृतक धर्म चंद की पुत्री ने 7 फरवरी, 1999 को सायंकाल में 6.00 बजे उसे यह सूचित किया कि उसका पिता, जो मोटरसाइकिल पर भगवानपुरा गया था, वापस नहीं

आया । शिकायतकर्ता अन्य पड़ोसियों के साथ तारीख 8 फरवरी, 1999 को मृतक धर्म चंद को तलाश करने के लिए गया और गांव भगवानपुरा में मृतक धर्म चंद के भाई के गोदाम के बाहर उसकी मोटरसाइकिल पाई किंतु उसके ठिकाने की जानकारी नहीं थी । उसकी लिखित शिकायत के आधार पर, एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषक अधिकारी को शंभू सिंह (अभि. सा. 3) से की गई जांच के अनुक्रम में यह प्रकट हुआ कि तारीख 7 फरवरी, 1999 को अभियुक्त बाबू लाल ने उसकी जीप भाड़े पर ली थी । बाबू लाल और उसके श्रमिक लोगड़ और बग्दीराम ड्रम ले गए थे जिसमें गेंहू था । शंभू सिंह को लोगड़ के मकान पर बैठाकर, जीप से ड्रम रास्ते में लोगड़ के खेत के निकट उतारा गया था और शौच जाने का बहाना करके बाबू लाल, लोगड़ और बग्दीराम लगभग डेढ़ घंटे तक वहां से चले गए थे । जब वे वापस आए तो ड्रम वहां नहीं था । शंभू सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा पूछताछ करने पर बाबू लाल ने बताया कि लोगड़ और बग्दीराम इसे बाद में देंगे । आगे जांच करने पर, यह प्रकट हुआ कि तारीख 5 फरवरी, 1999 को बाबू लाल और मृतक धर्म चंद के बीच कुछ धन के लेन-देन को लेकर गर्मागर्मी हुई थी और इस ड्रम को ले जाने को लेकर बाबू लाल को कुछ संदेह हुआ था । तलाश करने के दौरान, यह पाया गया कि एक सूखे कुएं से दुर्गंध आ रही थी । जब सागौन के पेड़ की ताजी कटी टहनियों और पत्तों को हटाया गया, तो मृतक धर्म चंद का शव पाया गया । तारीख 11 फरवरी, 1999 को पुलिस थाना, निम्बाहेड़ा में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण के पश्चात् चार अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् बाबू लाल, देवी लाल, केशू राम **उर्फ** पंचिया मीणा और लोगड़ रावत के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । सभी चारों ने विचारण का सामना किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त बाबू लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120ख के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए तथा अपीलार्थी देवी लाल को हत्या करने का षड्यंत्र रचने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हुए अभियुक्त केशू राम **उर्फ** पंचिया मीणा और लोगड़ रावत को दोषमुक्त कर दिया । दोनों अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष

फाइल की गई अपीलें तारीख 30 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए खारिज कर दी गई । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । वे परिस्थितियां, जिनसे विचारण न्यायाधीश अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन दोषी ठहराने के लिए प्रेरित हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, मुख्य रूप से शिकायतकर्ता विजय सिंह (अभि. सा. 2) मृतक की पुत्री और पत्नी वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) के साक्ष्य पर आधारित हैं तथा सह-अभियुक्त बाबू लाल द्वारा शंभू सिंह (अभि. सा. 3) को की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का भी अवलंब लिया गया था । जहां तक बाबू लाल का संबंध है, वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि उसकी उनके परिवार से जान-पहचान थी क्योंकि बाबू लाल मृतक से धन लेता रहता था और उसे वापस करता रहता था । मृतक धर्म चंद ने अभियुक्त बाबू लाल को 50,000/- रुपए उधार दिए थे जिसे बही खाते में लेखबद्ध किया गया था । जब मृतक धर्म चंद बाबू लाल से धन लेने गया तो उसने धन लौटाने से इनकार कर दिया और झगड़ा करने लगा । मृतक ने इस बारे में वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) को सूचित किया था । मृतक द्वारा की गई धन की मांग के कारण अपराध कारित होने का संदेह है । किंतु दोनों साक्षियों वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वे नहीं जानती कि अभियुक्त बाबू लाल ने कब मृतक से धन उधार लिया था । अन्य संसक्त साक्ष्य जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया था यह है कि अभियुक्त बाबू लाल ने बही का फटा हुआ पन्ना अभियुक्त देवी लाल को उस पर मृतक के हस्ताक्षर करवाने के लिए सौंपा था । अभियुक्त देवी लाल ने उक्त पन्ना अन्वेषक अधिकारी को जानकारी देकर बरामद कराया था । ऐसा कोई उचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है जो अभिलेख पर आया हो कि फटा हुआ पन्ना कैसे देवी

लाल के कब्जे में आया था क्योंकि उक्त कागज उस बही (वस्तु सं. 27) से फाड़ा गया था जो अभियुक्त बाबू लाल से बरामद की गई थी और जिसका न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट द्वारा मिलान किया गया था । ऐसी भी कोई न्यायोचित्य बात नहीं है जो अभियोजन पक्ष से आगे आई हो कि बाबू लाल की बही का अभियुक्त धर्मपाल के काली स्याही से हस्ताक्षरों वाला फटा कागज उसके पास कैसे आया । अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वह पेन बरामद किया गया था जिसका हस्तलेख अभियुक्त देवी लाल से बरामद किए गए पन्ने पर पाया गया था । अगली परिस्थिति अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 11,200/- रुपए की बरामदगी थी किंतु बाबू लाल के पास यह धनराशि कहां से आई थी, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया था । श्रृंखला को पूर्ण करने वाली अन्य परिस्थिति यह थी कि अभियुक्त देवी लाल ने इस तथ्य के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि देवी लाल किस सूचना द्वारा बाबू लाल के पास आया था, जिसके बारे में अभियुक्त देवी लाल से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामद की गई डायरी में उपदर्शित किया गया है । तारीख 7 फरवरी, 1999 की अभिकथित घटना जो तारीख 8 फरवरी, 1999 को इत्तिलाकर्ता की जानकारी में आई थी और रिपोर्ट तारीख 11 फरवरी, 1999 को दर्ज की गई थी, के लिए अभियुक्त बाबू लाल को तारीख 13 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था और अभियुक्त देवी लाल को तारीख 15 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था तथा बही के फटे हुए पृष्ठ जिस पर मृतक के हस्ताक्षर कराए गए थे और 1999 की डायरी (प्रदर्श पी-79) की अभिकथित बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन तारीख 24 फरवरी, 1999 को की गई थी । ऐसी बही कदापि प्रस्तुत नहीं की गई थी । कोरे कागज के फटे हुए टुकड़े के स्रोत को साबित करने के लिए बही प्रस्तुत न करने के अतिरिक्त, कागज के इस टुकड़े और बही पर स्याही की समानता न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा किए गए आक्षेप और इसके दिए गए उत्तर को देखते हुए अत्यंत संदेहास्पद थी, जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया था । अभिलेख पर के विचाराधीन तथ्यों की विस्तारपूर्वक संवीक्षा किए बिना ही वे परिस्थितियां, जो

आक्षेपित निर्णय में प्रकट होती हैं और जिन पर विचार किया गया है, संदेह के परे उस अपराध को कारित करने वाली श्रृंखला को पूर्ण करने में स्वयमेव संदेह पैदा करती हैं जो अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा कारित किया गया था । प्रस्तुत मामले की संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करने पर और अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला आरोप को साबित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपूर्ण है और उसके आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि करने के लिए लेशमात्र संदेह के बिना असंगत है । यद्यपि अभिलेख पर की सामग्री से उनके प्रति कुछ संदेह होता है, किंतु अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को "सत्य हो सकता है" के दायरे से ऊपर उठाकर "सत्य होना चाहिए" के स्तर पर ले जाने में असफल रहा है, जैसा कि किसी दांडिक आरोप के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए विधि में अपरिहार्य रूप से आवश्यक है । यह कहना अतिसामान्य बात है कि दांडिक विचारण में संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है । इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभिलेख पर पक्षकथन के आधार पर दो मत संभव हों, जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर, तो अभियुक्त वास्तव में उस मत का लाभ प्राप्त करने का हकदार है जो उसके पक्ष में है । किसी दांडिक आरोप पर अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की गुणवत्ता और अंतर्वस्तु को परिभाषित करने वाले न्यायिक रूप से अधिकथित सभी मानदंडों के आधार पर इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में उन मानदंडों को पूर्ण करने में असफल रहा है । (पैरा 6, 8, 10, 13, 16 और 17)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 11 एस. सी. सी. 43 : **राजा** उर्फ **राजिन्द्र** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	15
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 406 : **सुजीत बिस्वास** बनाम **असम राज्य** ;	15

[2008] (2008) 17 एस. सी. सी. 128 :
गोपाल साह बनाम **बिहार राज्य** ; 9

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद विरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 148 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 149).

2003 की दांडिक अपील (खंड पीठ) सं. 852 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के तारीख 30 जनवरी, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मीरा भाटिया (न्यायमित्र) सर्वश्री पल्लव शिशोदिया, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एच. डी. थानवी, सरद कुमार सिंघानिया और दिग्विजय सोढ़ी

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अनिश राय और मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने दिया ।

न्या. रस्तोगी – दोनों अपीलार्थियों, बाबू लाल और देवी लाल ने तारीख 30 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और दूसरी धारा 120ख की सहायता से की गई अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि से व्यथित होकर इस न्यायालय के मध्यक्षेप की ईप्सा की है ।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के पश्चात् के इस मामले के तथ्य संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता विजय सिंह (अभि. सा. 2) ने तारीख 8 फरवरी, 1999 को 7.15 बजे अपराह्न में पुलिस थाना, निम्बाहेड़ा में यह इत्तिला देते हुए एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दी कि वह और उसका चचेरा भाई धर्म चंद (मृतक) गांव बिनोटा में अपने-अपने परिवारों के साथ अलग-अलग मकानों में रह रहे हैं । मृतक धर्म

चंद की पुत्री ने 7 फरवरी, 1999 को सायंकाल में 6.00 बजे उसे यह सूचित किया कि उसका पिता, जो मोटरसाइकिल पर भगवानपुरा गया था, वापस नहीं आया । शिकायतकर्ता अन्य पड़ोसियों के साथ तारीख 8 फरवरी, 1999 को मृतक धर्म चंद को तलाश करने के लिए गया और गांव भगवानपुरा में मृतक धर्म चंद के भाई के गोदाम के बाहर उसकी मोटरसाइकिल पाई किंतु उसके ठिकाने की जानकारी नहीं थी । उसकी लिखित शिकायत के आधार पर, एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-75) दर्ज की गई । अन्वेषक अधिकारी को शंभू सिंह (अभि. सा. 3) से की गई जांच के अनुक्रम में यह प्रकट हुआ कि तारीख 7 फरवरी, 1999 को अभियुक्त बाबू लाल ने उसकी जीप भाड़े पर ली थी । बाबू लाल और उसके श्रमिक लोगड़ और बग्दीराम ड्रम ले गए थे जिसमें गेंहू था । शंभू सिंह को लोगड़ के मकान पर बैठाकर, जीप से ड्रम रास्ते में लोगड़ के खेत के निकट उतारा गया था और शौच जाने का बहाना करके बाबू लाल, लोगड़ और बग्दीराम लगभग डेढ़ घंटे तक वहां से चले गए थे । जब वे वापस आए तो ड्रम वहां नहीं था । शंभू सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा पूछताछ करने पर बाबू लाल ने बताया कि लोगड़ और बग्दीराम इसे बाद में देंगे । आगे जांच करने पर, यह प्रकट हुआ कि तारीख 5 फरवरी, 1999 को बाबू लाल और मृतक धर्म चंद के बीच कुछ धन के लेन-देन को लेकर गर्मागर्मी हुई थी और इस ड्रम को ले जाने को लेकर बाबू लाल को कुछ संदेह हुआ था । तलाश करने के दौरान, यह पाया गया कि एक सूखे कुएं से दुर्गंध आ रही थी । जब सागौन के पेड़ की ताजी कटी टहनियों और पत्तों को हटाया गया, तो मृतक धर्म चंद का शव पाया गया । प्रदर्श पी-73 के आधार पर तारीख 11 फरवरी, 1999 को पुलिस थाना, निम्बाहेड़ा में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई ।

3. अन्वेषण के पश्चात् चार अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् बाबू लाल, देवी लाल, केशू राम **उर्फ** पंचिया मीणा और लोगड़ रावत के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । सभी चारों ने विचारण का सामना किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त बाबू लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120ख के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए तथा अपीलार्थी देवी लाल

को हत्या करने का षड्यंत्र रचने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हुए अभियुक्त केशू राम **उर्फ** पंचिया मीणा और लोगड़ रावत को दोषमुक्त कर दिया ।

4. दोनों अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपीलें तारीख 30 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए खारिज कर दी गई ।

5. परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करने से पूर्व, अभिलेख पर के साक्ष्य का पहले विश्लेषण करना उचित होगा ।

6. अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । वे परिस्थितियां, जिनसे विचारण न्यायाधीश अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन दोषी ठहराने के लिए प्रेरित हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, मुख्य रूप से शिकायतकर्ता विजय सिंह (अभि. सा. 2), मृतक की पुत्री और पत्नी वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) के साक्ष्य पर आधारित हैं तथा सह-अभियुक्त बाबू लाल द्वारा शंभू सिंह (अभि. सा. 3) को की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का भी अवलंब लिया गया था ।

7. प्रारंभ में, यह ध्यातव्य है कि न तो आरंभिक शिकायत में जिसके आधार पर गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और न ही जांच के पश्चात् के प्रक्रम पर जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-73) रजिस्ट्रीकृत की गई थी, अपीलार्थी देवी लाल का नाम सामने आया था । यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करते हुए वंदना (अभि. सा. 5) के कथन (प्रदर्श डी-5) में भी अभियुक्त-अपीलार्थी देवी लाल द्वारा कोई षड्यंत्र रचे जाने का ऐसा कोई हवाला नहीं दिया गया था । अभि. सा. 5-वंदना और अभि. सा. 10-उमा देवी के परिसाक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया गया था कि अभियुक्त देवी लाल तारीख 5 फरवरी, 1999 को मकान पर आया था और मृतक धर्म चंद से बाड़े का आधा भाग 10,000/- रुपए में खरीदना चाहता था । देवी लाल ने मृतक को उसका बाड़ा बेचने की धमकी दी, जिसके लिए उसने मना कर दिया ।

8. जहां तक बाबू लाल का संबंध है, वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि उसकी उनके परिवार से जान-पहचान थी क्योंकि बाबू लाल मृतक से धन लेता रहता था और उसे वापस करता रहता था । मृतक धर्म चंद ने अभियुक्त बाबू लाल को 50,000/- रुपए उधार दिए थे जिसे बही खाते में लेखबद्ध किया गया था । जब मृतक धर्म चंद बाबू लाल से धन लेने गया तो उसने धन लौटाने से इनकार कर दिया और झगड़ा करने लगा । मृतक ने इस बारे में वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) को सूचित किया था । मृतक द्वारा की गई धन की मांग के कारण अपराध कारित होने का संदेह है । किंतु दोनों साक्षियों वंदना (अभि. सा. 5) और उमा देवी (अभि. सा. 10) ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह कथन किया कि वे नहीं जानती कि अभियुक्त बाबू लाल ने कब मृतक से धन उधार लिया था ।

9. यह सही है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति इसे करने वाले के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है किंतु न्यायालय के लिए सावधानी के तौर पर अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से उसकी संपुष्टि की प्रत्याशा करना उपयुक्त रहेगा । **गोपाल साह** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने न्यायिकेतर संस्वीकृति पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति, प्रत्यक्षतः, एक कमजोर साक्ष्य होता है और न्यायालय, दोषसिद्धि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए तर्कपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला के अभाव में इसका अवलंब लेने के लिए अनिच्छुक होता है । प्रस्तुत मामले में, यह ध्यातव्य है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लेने के लिए कोई अतिरिक्त तर्कपूर्ण परिस्थिति नहीं है । साथ ही, शंभू सिंह (अभि. सा. 3) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपना कथन अभिलिखित करते समय अभियुक्त बाबू लाल द्वारा की गई ऐसी न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में कथन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, इसका समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य परिस्थिति नहीं है ।

10. अन्य संसक्त साक्ष्य जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब

---

[1] (2008) 17 एस. सी. सी. 128.

लिया गया था यह है कि अभियुक्त बाबू लाल ने बही का फटा हुआ पन्ना अभियुक्त देवी लाल को उस पर मृतक के हस्ताक्षर करवाने के लिए सौंपा था । अभियुक्त देवी लाल ने उक्त पन्ना अन्वेषक अधिकारी को जानकारी देकर बरामद कराया था । ऐसा कोई उचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है जो अभिलेख पर आया हो कि फटा हुआ पन्ना कैसे देवी लाल के कब्जे में आया था क्योंकि उक्त कागज उस बही (वस्तु सं. 27) से फाड़ा गया था जो अभियुक्त बाबू लाल से बरामद की गई थी और जिसका न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट द्वारा मिलान किया गया था । ऐसी भी कोई न्यायौचित्य बात नहीं है जो अभियोजन पक्ष से आगे आई हो कि बाबू लाल की बही का अभियुक्त धर्मपाल के काली स्याही से हस्ताक्षरों वाला फटा कागज उसके पास कैसे आया । अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वह पेन बरामद किया गया था जिसका हस्तलेख अभियुक्त देवी लाल से बरामद किए गए पन्ने पर पाया गया था । अगली परिस्थिति अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 11,200/- रुपए की बरामदगी थी किंतु बाबू लाल के पास यह धनराशि कहां से आई थी, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया था । श्रृंखला को पूर्ण करने वाली अन्य परिस्थिति यह थी कि अभियुक्त देवी लाल ने इस तथ्य के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि देवी लाल किस सूचना द्वारा बाबू लाल के पास आया था, जिसके बारे में अभियुक्त देवी लाल से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामद की गई डायरी में उपदर्शित किया गया है । तारीख 7 फरवरी, 1999 की अभिकथित घटना जो तारीख 8 फरवरी, 1999 को इत्तिलाकर्ता की जानकारी में आई थी और रिपोर्ट तारीख 11 फरवरी, 1999 को दर्ज की गई थी, के लिए अभियुक्त बाबू लाल को तारीख 13 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था और अभियुक्त देवी लाल को तारीख 15 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था तथा बही के फटे हुए पृष्ठ जिस पर मृतक के हस्ताक्षर कराए गए थे और 1999 की डायरी (प्रदर्श पी-79) की अभिकथित बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन तारीख 24 फरवरी, 1999 को की गई थी । ऐसी बही कदापि प्रस्तुत नहीं की गई थी । कोरे कागज के फटे हुए टुकड़े के स्रोत को साबित करने के लिए बही प्रस्तुत न करने के अतिरिक्त,

कागज के इस टुकड़े और बही पर स्याही की समानता न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा किए गए आक्षेप और इसके दिए गए उत्तर को देखते हुए अत्यंत संदेहास्पद थी, जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया था ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा जो अवलंब लिया गया था वह यह था कि अपीलार्थी-अभियुक्त देवी लाल के प्रकटन के आधार पर बरामद (बरसोत की "दराज" से) कागज (वस्तु सं. 7) वह कागज था जो अपीलार्थी बाबू लाल के बताने पर मिली जानकारी के आधार पर बरामद की गई बही से फाड़ा गया था । दूसरी बात यह कि वह कागज उस कागज के टुकड़े का निचला भाग था जिस पर मृतक धर्म चंद के हस्ताक्षर थे और इसको छोड़कर कागज कोरा था ।

12. संक्षेप में, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति के अलावा कुल मिलाकर जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया, उन्हें नीचे निर्दिष्ट किया जाता है :–

"1. अपीलार्थी-देवी लाल मृतक से 'बाड़े' का आधा भाग खरीदना चाहता था जिसके लिए वह सक्रिय रूप से लगा हुआ था ।

2. मृतक 7 फरवरी को लगभग 9-10 बजे भगवानपुरा गांव गया था, जो ज्यादा दूर नहीं था ।

3. लगभग 10-10.20 बजे पूर्वाह्न में वह धन लेने के लिए बाबू लाल के मकान पर जाने के लिए कह रहा था और उस ओर तथा बाबू लाल के मकान ('नोहरा') पर गया था ।

बाबू लाल के मकान पर जाते हुए-फिर कभी जीवित नहीं देखा गया ।

4. बाबू लाल द्वारा 7 फरवरी, की सायंकाल में गांव धिकिया जाने के लिए 6 फरवरी को शंभू लाल की जीप भाड़े पर लिया जाना ।

इसके पश्चात् 7 फरवरी की सायंकाल में लगभग 8.00 बजे अपराह्न में बाबू लाल और दो अन्य व्यक्ति भारी ड्रम ले गए थे जिसे एकांत स्थान पर छोड़ा गया – जहां ड्रम छोड़ा गया था उसके

निकट गड्ढे जैसे सुखे कुएं में मृतक का शव पाया जाना ।

5. बाबू लाल की सूचना पर उसके मकान से उसके स्वयं के छिपाए गए वस्त्र बरामद किए गए – उसके 'नोहरा' की सांझी दिवार और मिट्टी पर रक्त के धब्बे थे । बाबू लाल के वस्त्रों और मृतक के वस्त्रों पर 'ए' समूह का रक्त था ।

'नोहरा' की फर्श पर पाए गए धब्बे 'ए' समूह के थे ।

'नोहरा' की दिवार पर मानव रक्त के धब्बे थे ।

6. बाबू लाल की सूचना पर – अर्थात् उसके कब्जे से एक 'बही' बरामद की गई – 'बही' का लगभग 7-8" × 6-7" पन्ना फाड़ा हुआ था ।

7. बाबू लाल ने सूचित किया कि उपरोक्त आधा फटा पन्ना उसके पास है ।

8. देवी लाल की सूचना और उसके बताने पर अर्थात् उसके कब्जे से 'बही' का उपरोक्त आधा फटा पन्ना पाया गया – जो 'दर्राज' अर्थात् दरवाजे की चौखट और उससे सटी दिवार के बीच संकीर्ण जगह से बरामद किया गया ।

9. इस फाड़े हुए पन्ने के निचले भाग पर धर्म चंद के हस्ताक्षर हैं – इसे छोड़कर कागज कोरा है ।"

13. अभिलेख पर के विचाराधीन तथ्यों की विस्तारपूर्वक संवीक्षा किए बिना ही वे परिस्थितियां, जो आक्षेपित निर्णय में प्रकट होती हैं और जिन पर विचार किया गया है, संदेह के परे उस अपराध को कारित करने वाली श्रृंखला को पूर्ण करने में स्वयमेव संदेह पैदा करती हैं जो अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा कारित किया गया था ।

14. किसी दांडिक अपराध के आरोप के सबूत के रूप में पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि, उसकी सुसंगतता और निश्चायकता का उत्कर्ष निरूपण इस न्यायालय के अन्य अनुसरणीय विनिश्चयों में से एक **शरद विरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

मामले में का विनिश्चय है । विनिश्चय के पैरा 153 से सुसंगत उद्धरण निश्चित रूप से उपयोगी है :–

"153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए –

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां "सिद्ध करनी होंगी" या "की जानी चाहिए न कि की जा सकती है" । "साबित की जा सकती है" और "साबित करनी होगी या की जानी चाहिए" में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793. में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

"निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी "होना चाहिए" न कि केवल "दोषी हो सकता है" और "हो सकता है" तथा "होना चाहिए" के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।"

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया हो ।"

15. **सुजीत बिस्वास** बनाम **असम राज्य**[1] और **राजा** उर्फ **राजिन्द्र** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामलों में भी इस पर विचार किया गया था । यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायालय को पारिस्थितिक साक्ष्य की संवीक्षा करते समय इसका यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी युक्तियुक्त संभावना को नकारने के लिए घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट और पूर्ण रूप से सिद्ध होती है । अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि क्या श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, वास्तव में, यह बात साक्ष्य से प्रकट प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी और कोई ऐसा नियमनिष्ठ सिद्धांत नहीं हो सकता जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जा सके । किंतु प्रस्तुत की गई परिस्थितियों पर जब सामूहिक रूप से विचार किया जाए, तो इनसे अवश्य केवल यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अभिकथित अपराध का अपराधी है और परिस्थितियों से केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत निश्चायक प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए ।

16. प्रस्तुत मामले की संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करने पर और अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला आरोप को साबित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपूर्ण है और उसके

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 406.

[2] (2015) 11 एस. सी. सी. 43.

आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि करने के लिए लेशमात्र संदेह के बिना असंगत है । यद्यपि, अभिलेख पर की सामग्री से उनके प्रति कुछ संदेह होता है, किंतु अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को "सत्य हो सकता है" के दायरे से ऊपर उठाकर "सत्य होना चाहिए" के स्तर पर ले जाने में असफल रहा है, जैसा कि किसी दांडिक आरोप के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए विधि में अपरिहार्य रूप से आवश्यक है । यह कहना अतिसामान्य बात है कि दांडिक विचारण में संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है ।

17. इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभिलेख पर पक्षकथन के आधार पर दो मत संभव हों, जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर, तो अभियुक्त वास्तव में उस मत का लाभ प्राप्त करने का हकदार है जो उसके पक्ष में है । किसी दांडिक आरोप पर अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की गुणवत्ता और अंतर्वस्तु को परिभाषित करने वाले न्यायिक रूप से अधिकथित सभी मानदंडों के आधार पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में उन मानदंडों को पूर्ण करने में असफल रहा है ।

18. प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में, हम उनकी दोषसिद्धि को कायम नहीं रख सकते हैं । अत: अपीलार्थी संदेह के फायदे के हकदार हैं । दोनों अपीलें सफल होती हैं और तद्नुसार मंजूर की जाती हैं । अपीलार्थी देवी लाल पहले से ही जमानत पर है । उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । अपीलार्थी बाबू लाल अभिरक्षा में है, उसे, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा किए जाने का निदेश दिया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.